New Man International Journal of Multidisciplinary Studies
(UGC Approved Journal No. 45886)
ISSN: 2348-1390
Impact Factor: 4.321 (IIJIF)

31.

पंचायती राज प्रणाली में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान की नींव

डॉ. केशरी नन्दन मिश्रा

एसोसिएट प्रोफेसर (इतिहास), हेमवती नन्दन बहुगुणा राजकीय पी.जी. कालेज, नैनी, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश, भारत।

यदि पूर्व संचालित 'राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना' के आलोक में निगाह डालें, तो कहना न होगा कि पंचायती राज प्रणाली के सशक्तिकरण में 'राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान' को अत्यंत अहम् भूमिका सबसे प्रभावी बनाने की बात थी। उस योजना की भी मंशा थी कि पंचायतों को 'अपनी सरकार' के रूप में कार्य करने हेतु सशक्त किया जाए। केन्द्र और राज्य के बीच में कोष अनुपात 75:25 तय किया गया था। प्रशिक्षण के 55 बिंदु भी तय थे।

मुझे यह पढ़कर खुशी हुई कि; ग्राम संसाधन केन्द्र' और 'जन सहायता केन्द्र' की अवधारणा को ज़मीन पर उतारने का सुंदर सपना भी 'राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना' में शामिल था। उत्तर प्रदेश, जिला प्रतापगढ़ के भयहरणनाथ धाम पर मैंने गांववासियों द्वारा 'जन सहायता केन्द्र' के सफल संचालन की चर्चा अवश्य सुनी है, किंतु पूर्व संचालित 'राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना' अपने मकसद में कितनी सफल रही? क्या कमियां रही कि वर्तमान वित्तवर्ष में उसे पुर्नसंरचित करने की आवश्यकता महसूस की गई? यह आकलन का भी विषय है और नूतन 'राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान' की रूपरेखा तैयार करने से पहले चिंतन और मंथन का भी।

संविधान का अनुच्छेद 40: इसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में से एक को प्रतिश्ठापित किया गया है और व्यवस्था की गई है कि राज्य ग्राम पंचायतों के गठन के लिये कदम उठायेगा और उन्हें ऐसे अधिकार और शक्तियां देगा जो उन्हें स्वशासन की इकाइयों के रूप में सुचारू रूप से कार्य करने में सक्षम बनाने के लिये ज़रूरी हैं। इसके अनुपालन में कई राज्यों में पंचायती राज संस्थाओं का गठन किया गया, लेकिन उनके कामकाज में बहुत–सी कमियां नजर आई। इनके चुनाव नियमित रूप से आयोजित नही किये जाते थे और आमतौर पर उनके पास कोई वास्तविक शक्तियां या विकास संबंधी भूमिकाएं नहीं थीं। इसलिये यह महसूस किया गया कि पंचायती राज संस्थाओं को कुछ अनिवार्य विशेषताओं से युक्त बनाने के प्रावधानों को संविधान में शामिल किया जाये ताकि उनमें निश्चितता, निरंतरता और शक्ति का संचार हो। इसी बात को ध्यान में रखते हुए 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 अस्तित्व में आया।

जहां संविधान का 73वां संशोधन इस बात का अधिकार देता है कि पंचायतों की एक तिहाई सीटें महिलाओं के लिये आरक्षित हों, वहीं देश में कम से कम पांच राज्य ऐसे हैं जिन्होंने पंचायतों में महिलाओं के लिये आरक्षण का अनुपात 50 प्रतिशत तक कर दिया है। बिहार ऐसा पहला राज्य था जिसने 2006 में इसका प्रावधान किया। इसके बाद छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश भी इसी तरह का प्राधान करने को आगे आये और उन्होंने महिलाओं के लिये आरक्षण बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया। सिक्किम ने इसे 40 प्रतिशत रखा है।

तीसरी सरकार पर बढ़ा दारोमदार

आगे महत्वपूर्ण यह रहेगा कि पंचायती क्षमता विकास नूतन अभियान, किन मानकों और संकल्पों के साथ अपने दिशा–निर्देशों को अंजाम देगा। आगे महत्वपूर्ण यह रहेगा कि पंचायती क्षमता विकास नूतन अभियान, किन मानकों सकल्पों के साथ अपने दिशा–निर्देशों को अंजाम देगा। महत्वपूर्ण यह भी होगा कि खासकर, पंचायत प्रतिनिधि और हमारी ग्रामसभाएं इस अभियान और बजट का सदुपयोग करने के लिए स्वयं को कितना सतर्क, संवेदनशील और सक्षम बनाने की अभिलाषी होगी।

यदि हम वर्तमान वित्तवर्ष 2016–17 में कृषि और ग्रामीण क्षेत्र हेतु वित्तीय आवंटन के उक्त आंकड़ों, योजनाओं और लक्ष्यों को सामने रखें, तो एक बात तो साफ है कि कमी धन की नहीं, गांव विकास के लिए असल धुन की है। यह धुन खेती–किसानी और ग्राम विकास से संबद्ध अकेले प्रशासनिक तंत्र के बूते नही बजाई जा सकती; ग्रामसभा और चुने हुए पंचायत प्रतिनिधियों को भी अपनी भूमिका के लिए जागना होगा; सक्षम बनना होगा।

आज भारत में चुने हुए पंचायत प्रतिनिधियों की संख्या 28 लाख, 18 हजार, 290 है। यह दुनिया में किसी भी सरकार के चुने हुए प्रतिनिधियों की संख्या से बड़ा आकड़ा है। इस आंकड़ें का सम्मान करते हुए ग्राम–स्तर की 'तीसरी सरकार' को समझना होगा कि 'पहली सरकार' ने उसे संवैधानिक अधिकार भी दिए हैं और धन भी; बावजूद इसके यदि हम 'तीसरी सरकार', अपने गांव के विकास की योजना खुद न बनाएं, अपने साझा संसाधनों की रखवाली खुद न करें और फिर अपनी हालत के लिए व्यवस्था का रोना रोएं, तो यह कहां तक उचित है? कहना न होगा कि बढ़े हुए वित्तीय आवंटन की अच्छाई–बुराई सुनिश्चित करने का दारोमदार फिलहाल 2,39,491 ग्रामसभाओं पर आ टिका है। क्यों? क्योंकि संविधान के अनुसार, ग्राम–स्तर की असली सरकार तो 'ग्रामसभा' ही है, पंचायत तो 'ग्रामसभा' द्वारा चुना हुआ एक मंत्रिमण्डल मात्र है।

पूर्व संचालित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना

गौर करें, तो पूर्व संचालित 'राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना' को पंचायती राज प्रशिक्षण एवं क्षमता विकास हेतु राज्यों को मदद करना था। तय कार्ययोजना में तीनों स्तर के पंचायत प्रतिनिधियों के अलावा पंचायती राज से संबद्ध सभी स्तर की स्थायी समितियों व अधिकारियों का प्रशिक्षण, क्षमता विकास व सतत् संवाद भी शामिल था। पंचायत से जुड़े सचिवालय व तकनीकी कर्मचारियों के लिए विशेष प्रशिक्षण की बात थी। मीडिया, राजनैतिक दलों, सांसदों, विधायकों, नागरिक संगठनों तथा नागरिकों को इस मसले पर संवदेनशील बनाना भी इस कार्ययोजना का हिस्सा था। कार्ययोजना थी कि ग्रामसभा सदस्यों को सक्रिय करने के लिए विशेष अभियान चलाए जाएंगें। महिलाओं, अनुसूचित जाति/जनजाति प्रतिनिधियों और पहली बार पंचायत प्रतिनिधि बने व्यक्तियों को चुने जाने के तीन माह के भीतर विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। सुनिश्चित किया गया था कि प्रशिक्षण को सांस्कृति परम्पराओं तथा आदिवासी ज़रूरतों के हिसाब से आकार दिया जाए। चुनाव से पहले और बाद के समय में प्रशिक्षण आयोजित हों। बुनियादी प्रशिक्षण एक साल के भीतर सभी चुने हुए प्रतिनिधियों को दे दिया जाए। जिन्हें आवश्यकता हो, उनके लिए चुनाव के तुरंत बाद कार्य साक्षरता प्रशिक्षण चलाया जाये। प्रशिक्षण व संवाद को कोई कार्यक्रम न मानकर, एक सतत् समुदाय आधारित संगठनों को भी जोड़ने के लिए प्रदेश सरकारों को स्वतंत्रता हासिल थी।

पूर्व संचालित 'राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना' में स्पष्ट निर्देश था कि प्रशिक्षणों का विश्लेषण होता रहे। ग्राम स्वराज के जरिए पुराना स्वराज, धर्मनिरपेक्षता, समानता और मानवधिकार सिद्धांत और उनके संवैधानिक पहलू, लिंग समानता, सामाजिक न्याय, मानव विकास की स्थिति, गरीबी उन्मूलन, नियोजन, क्रियान्वयन और निगरानी में भागीदारी, सूचना और पारदर्शिता की भूमिका, सामाजिक अंकेक्षण और पंचायती राज के नियम और कानूनों को पूरे भारत में संचालित पंचायती प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में शामिल किया जाए। गांव विकास की योजना कैसे बनाए? जन भागीदारी व सकारात्मक सोच को आगे रखते हुए गांव की स्थानीय समस्याओं का निदान खुद अपने स्तर पर कैसे करें? विकास जरूरतों के प्रति जवाबदेही कैसे सुनिश्चित करें? ग्राम नियोजन में विशेषकर गरीब की भागीदारी हेतु जगह कैसे बने? इस पर जोर देने की बात थी। स्थानीय जरूरत और तथ्यों के अनुसार मानव संसाधन प्रबंधन और लेखा के साथ–साथ वित्त प्रबंधन की समझ विकसित करने को भी उस योजना में महत्वपूर्ण कार्य तौर पर लिया गया था। मानव जरूरतों के प्रति आंचलिक सोच की दृष्टि से आमने–सामने प्रशिक्षण के अलावा, रेडियो, फिल्म, कैसेट, समाचार पत्र–पत्रिकाओं का उपयोग करने का निद्रेश था। 'सूचना का अधिकार' तथा 'सामाजिक अंकेक्षण' के जरिए लाभार्थियों द्वारा अपने लाभ के लिए लाई गई योजनाओं की खुद निगरानी हेतु जननिगरानी का सक्षम तंत्र

विकसित करना भी 'राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना' का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य था। देखना है कि प्रस्तावित 'राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान' पूर्व योजना से किस मायने में कितना भिन्न और कितना बेहतर होगा।

References

"The Constitution (Seventy-third Amendment) Act, 1992". Government of India. Archived from the original on 5 May 2003.

Sapra, Ipsita (February 2013). "Living in the villages". Rural Democracy. D+C Development and Cooperation. Retrieved 24 April 2015

50% reservation for women in AP, Bihar Panchayats. Sify.com (2011-11-25). Retrieved on 2013-07-28.

Mitra, Subrata K.. (2001). "Making Local Government Work: Local elites, Panchayati raj and governance in India", in Kohli, Atul (ed.). The Success of India's Democracy. Cambridge: Cambridge University Press.

India 2007, p. 696, Publications Division, Ministry of Information and Broadcasting, Government of India

Sisodia, R. S. (1971). "Gandhiji's Vision of Panchayati Raj". Panchayat Aur Insan. 3 (2): 9–10.

Sharma, Manohar Lal (1987). Gandhi and Democratic Decentralization in India. New Delhi: Deep and Deep Publications

India 2007, p. 696, Publications Division, Ministry of Information and Broadcasting, Government of India

Ministry of Panchayati Raj, Government of India

Uplaonkar, A2005 Empowerment of Women, Mainstream, 43(12), 19–21.

❑❑❑